

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 02/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी, 2016

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"277क	8702 90 21, 8702 90 22, 8702 90 28 या 8702 90 29	सभी माल	12.5%	-";

[फा. सं0 354/3/2017-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 37/2016-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 दिसंबर, 2016 द्वारा, जो सा.का.नि. 1201(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।